



राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 302004

दूरभाष :- 0141-2711070, संस्थापन-द्वितीय :- 2256702

E-mail : astregistrarest2@gmail.com

क्रमांक: संस्था-2/2025/3915-16

दिनांक: 28/8/2025

1. Kiran Enterprises,
67-ए, टॉक रोड, सांगानेर,
जयपुर, 302029।

2. A1 Services,
डी-9/39, चित्रकूट योजना,
सेक्टर-9, वैशाली नगर,
जयपुर, 302021।

विषय:- आपके माध्यम से उपलब्ध श्रमिकों के द्वारा की जा रही हड़ताल के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक संस्था-2/2025/2032 दिनांक 23.06.2025 एवं आदेश क्रमांक संस्था-2/2025/2164 दिनांक 23.06.2025 के क्रम में आपके माध्यम से राजस्थान विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये मानव श्रम द्वारा दिनांक 20.08.2025 से आज दिनांक 28.08.2025 तक लगातार कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। जिससे विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित हो रहा है।

आपके एवं विश्वविद्यालय के मध्य हुए अनुबंध की शर्त संख्या 30 एवं 35 पर निम्न शर्त अंकित है:-

30. संवेदक के द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी मानव संसाधन की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने या गैर कानूनी कृत्य करने आदि के लिए सम्बन्धित इकाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर श्रमिक को संवेदक द्वारा हटा दिया जायेगा एवं उसके स्थान पर अन्य श्रमिक की सेवायें संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी।

35. अनुबंध की अवधि के दौरान संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी श्रमिक द्वारा किसी कारण से कार्य का बहिष्कार किया जाता है या हड़ताल की जाती है या धरना प्रदर्शन किया जाता है तो यह अनुबंधित फर्म/संवेदक द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी मानी जायेगी एवं शर्तों का उल्लंघन माना जा कर ऐसे प्रत्येक अवसर/घटना के लिए शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन को होगा। ऐसे कृत्य के लिए श्रमिक/श्रमिकों पर 'काम नहीं तो मजदूरी नहीं' का सिद्धान्त लागू होगा। श्रमिक/श्रमिकों के स्वेच्छा से कार्यालय में अनुपस्थिति दिवस का किसी भी प्रकार की मजदूरी देय नहीं होगा। संवेदक से उपर्युक्तानुसार मानव संसाधन के बहिष्कार/हड़ताल/धरना प्रदर्शन करने से कार्य बाधित होने पर या अन्य कारण से अनुपस्थित रहने पर ऐसी कुल कार्यावधि में प्रत्येक कार्यदिवस को देय मजदूरी का एक तिहाई राशि के बराबर शास्ति के रूप में वसूली चालू माह/आगामी माह के भुगतान बिल या कार्य सम्पादन प्रतिभूति में से की जा सकेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिकों को तुरन्त कार्य पर लौटने हेतु सूचित करें अथवा दिनांक 23.06.2025 एवं उसके पश्चात् जारी आदेशों के अनुसार दूसरे श्रमिक विश्वविद्यालय में उपलब्ध करावें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में आपके द्वारा निविदा की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(राजकुमार कस्वा)
कुलसचिव

